(9)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक::29 जून, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश के क्रम में, यह अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा-

(i) शीर्ष 9964 या 9973 के अधीन आने वाले रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएं;

(ii) शीर्ष 9963 के अधीन आने वाले होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए हैं, में वास सुविधा देने के रूप में सेवा, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "शीर्ष" जहां कहीं वह आता है, के प्रति निर्देश से, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में "शीर्ष" अभिप्रेत होगा ;

(ख) "रेडियो टैक्सी" से टैक्सी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत रेडियो कैब है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संपर्क में है और ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) का उपयोग करके ट्रैक किए जाने के लिए समर्थ है ;

(ग) "मैक्सी कैब", "मोटर कैब" और "मोटर साइकिल" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और खंड (26) में है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

..........................अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

5053
28/06/2017

सं0 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4— अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5— एन0आई0सी0

6— गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No531/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 531 /2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council, pleased to allow to notify that in case of the following categories of services, the tax on intra-State supplies shall be paid by the electronic commerce operator –

(i) services by way of transportation of passengers by a radio-taxi, motorcab, maxicab and motor cycle falling under heading 9964 or 9973;

(ii) services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes falling under heading 9963, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Uttarakhand Goods and Services Tax Act.

Explanation.- For the purposes of this notification,-

(a) Reference to "Heading", wherever it occurs, unless the context otherwise requires, shall mean "Heading" in the scheme of classification of services.

(b) "radio taxi" means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS);

(c) "maxicab", "motorcab" and "motor cycle" shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary